F.No.301(1)/2012/PA Admn.III/30 to 120
Government of India,
Ministry of Communications,
Department of Posts, Postal Accounts Wing.
Dak Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi – 110 001.

Dated: 2nd April, 2018.

To

All Heads of Postal Accounts Offices/CCAs

Sub: Recruitment Rules 2018 of Indian P&T Accounts and Finance Service (Group 'B') of Accounts Officers and Assistant Accounts Officers for DoT and DoP regarding.

Sir/Madam,

It is intimated that the Recruitment Rules for Accounts Officer and Assistant Accounts Officer of Indian P&T AFS Group 'B" has been published in the Gazette of India on 2nd April 2018 (G.S.R. 320(E)), a copy of which is enclosed herewith for information and necessary action. This is also being uploaded into the websites of DoP & DoT. If there is any variation between the Hindi and English versions of the notification, then English version would prevail.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Dharmesh

(Dharmesh Kumar)
Assistant Director General (PA Admn.)
Telephone No.23044778

Copy along with the copy of the Gazette forwarded to:-

1. All Heads of Postal Circle.
2. DDG (E&T) with a request to upload the contents of this letter of web portal of DoT.
3. GM (CEPT), Mysore with a request to upload the ibid Gazette notification into the DoP Website at prominent place for information of all concenred.
4. The Under Secretary (RR), Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi with reference to F.No.3/21(A)(1)/2016-RR dated 3rd April and 25th July 2017.
5. Department of Personnel & Training, Estt. (RR Division), New Delhi with reference to ID Note Dy.No.1242946/17/CR darted 22.6.2017.
6. Ministry of Law & Justice (Legislative Department) Legislative Section, Shastri Bhawan, New Delhi with reference to their Dy.No.319/2018 daed 16.2.2018.
7. G.File.
8. Office Copy.
9. Spare.

Encl: As above.

Dharmesh

Assistant Director General (PA-Admn.)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

No. 203] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक लेखा शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 320(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा , दूरसंचार शाखा, समूह 'ख' (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1980; (i) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा , डाक शाखा, समूह 'ख' (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1980; (iii) दूरसंचार विभाग (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) समूह 'ग' भर्ती नियम 1986 (iv) दूरसंचार विभाग, (सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000; (v) डाक विभाग, (कनिष्ठ लेखा अधिकारी), समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002; और (vi) डाक विभाग, (सहायक लेखा अधिकारी) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2005, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो अथवा लोप किया गया है, संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग में भारतीय डाक एवं दूरसंचार और वित्त सेवा समूह 'ख' के लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा समूह 'ख', (लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम 2018 है।

   (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **विनियोग:-** ये नियम, इन नियमों के उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि:-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा इससे संबंधित अन्य मामले वे होंगें, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **प्रारंभिक संगठन:-** इन नियमों के लागू होने से पूर्व, नियमित आधार पर पद धारण करने वाले कार्मिकों को, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा।

6. **स्थानांतरण संबंधी दायित्व की परिधि:-** उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्ति को भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।

7. **निरर्हताएं:-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

लेकिन यदि, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है।

8. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) लेखा अधिकारी	94 *(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-9 (53,100-1,67,800 रु.)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले, में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** विभागीय सहायक लेखा अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-151,100 रु.) में, इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। यह प्रोन्नति, प्रोन्नत पद के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और प्रायोजित ड्यूटी अथवा उत्तरदायित्वयों के क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के अध्ययधीन होगी: बशर्तेकि ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पहले प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण कार्य पूरा नहीं किया है, फिर भी इस शर्त के अध्ययधीन विचार किया जाएगा, कि वे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के अन्दर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लेगें। ऐसे व्यक्ति जो दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उन्हें प्रोन्नति हेतु ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण :** जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, तो उनके वरिष्ठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** **केंद्रीय सरकार के वे कर्मचारी:** (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के मूल संवर्ग/विभाग में स्तर-8 (47,600-151,100 रु.) में अथवा समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि; और (ii) भारत सरकार के अधीन किसी संगठित लेखा सेवा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है; और (iii) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के किसी कार्यालय में लेखा अथवा लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जिन्हें निकट भविष्य में सीधे प्रोन्नति किया जाना है, वे	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) का गठन 1. सलाहकार (वित्त), दूरसंचार आयोग-अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (स्थापना एवं वित्त) दूरसंचार विभाग-सदस्य 3. उप महानिदेशक (डाक लेखा एवं वित्त)-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।

	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) सहायक लेखा अधिकारी	1208* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-8 (47,600-151,100 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)
अधिकतम तीस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**अनिवार्य योग्यता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि **वांछनीय:** चार्टरित लेखाकार अथवा लागत और प्रबंध लेखाकार अथवा कंपनी सेक्रेटरी अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकरण की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाने वाले तथा प्रोन्नत किए गए उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष **टिप्पणी:** समूह 'ख' के प्रोन्नत उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा की आवश्यकता नहीं परिवीक्षा की अवधि के दौरान सीधी भर्ती किए गए उम्मीदवारों को सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पुष्ट तथा नियमित किए जाने हेतु अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा अथवा विभाग द्वारा तैयार की गई समकक्ष परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों ही न हो पाएं तो सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति:** वे विभागीय उम्मीदवार जिन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा अथवा डाक तथा दूरसंचार विभाग अथवा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो। 1. डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग के ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ लेखाकार, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-1,12,400 रु.) तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में क्रमश: तीन वर्ष और छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. डाक विभाग अथवा दूरसंचार विभाग के समूह 'ग' संवर्ग के वे सभी कर्मचारी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की बैचलर्स डिग्री हो तथा जिन्होंने निम्नानुसार नियमित अर्हक सेवा पूरी कर ली हो: (i) स्तर 1 में चौदह वर्ष की नियमित सेवा, अथवा (ii) स्तर 2 में तेरह वर्ष की नियमित सेवा, अथवा (iii) स्तर 3 में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा, अथवा

	(iv) स्तर 4 में नौ वर्ष की नियमित सेवा, अथवा (v) स्तर 5 में सात वर्ष की नियमित सेवा, अथवा (vi) स्तर 6 में चार वर्ष की नियमित सेवा, अथवा **टिप्पण :** जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, तो उनके वरिष्ठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न संगठित सेवा और लेखा परीक्षा सेवाओं के वे अधिकारी जो: (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; अथवा (ii) जिन्होंने भारत सरकार के अंतर्गत किसी संगठित लेखा संवर्ग में अधीनस्थ लेखा सेवा अथवा अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण 1:** फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी, जो निकट भविष्य में प्रोन्नत किए जाने वाले हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से तुरंत पहले, इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्र सरकार के किसी विभाग में किसी संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति किए जाने हेतु अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक न हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. उप महानिदेशक (डाक लेखा एवं वित्त)- अध्यक्ष 2. निदेशक (स्टाफ स्थापना लेखा), दूरसंचार विभाग- सदस्य 3. निदेशक (बजट एवं प्रशासन), डाक विभाग- सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. उप महानिदेशक (डाक लेखा एवं वित्त)- अध्यक्ष 2. निदेशक (स्टाफ स्थापना लेखा), दूरसंचार विभाग- सदस्य 3. निदेशक (बजट एवं प्रशासन), डाक विभाग- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 301(1)/2012/पीए प्रशासन-III]

दीपक कुमार, निदेशक (बजट एवं प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(POSTAL ACCOUNTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2018

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of ; (i) the Indian Posts and Telegraphs Accounts and Finance Service, Telecommunications Wing, Group 'B' (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1980; (ii) the Indian Posts and Telegraphs Accounts and Finance Service, Postal Wing, Group 'B' (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1980; (iii) the Department of Telecommunications, (Junior Accounts Officer) Group 'C' Recruitment Rules, 1986 (iv)the Department of Telecommunications, (Assistant

Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000; (v) the Department of Posts, (Junior Accounts Officer), Group 'B' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002; and (vi) the Department of Posts, (Assistant Accounts Officer) Group 'B' Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accounts Officer and Assistant Accounts Officers of Indian Posts and Telecommunications and Finance Service Group 'B' in the Department of Posts and Department of Telecommunications under Ministry of Communications, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Indian Posts and Telecommunications Accounts and Finance Service Group 'B', (Accounts Officers and Assistant Accounts officers) Recruitment Rules 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:-**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classifications, pay level in pay matrix:-**The number of said posts, their classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc:-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial constitution:-** The personnel holding the posts on regular basis, before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

6. **Liability for transfer:-** Persons appointed to the said posts shall be liable to transfer anywhere in India.

7. **Disqualifications:-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible, under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax:-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings:-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes,Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Accounts Officer	94 *(2018) * subject to variation dependent on workload	General Civil Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level-9 (Rs.53,100-1,67,800)	Selection post

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not Applicable	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of	In case of recruitment by promotion or	If a departmental promotion	Circumstances in

recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	committee exists, what is the composition	which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** The Departmental Assistant Accounts Officers in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix with two years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Promotion shall be subject to completion of mandatory training in the field of duties or responsibilities of the promotional post, as devised and sponsored by the cadre controlling authority: Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** **Officers of the Central Government:** (a) (i)holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre /Department; or (ii)with two years' service in	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)consisting of; 1. Advisor (Finance), Telecom Commission - Chairman. 2. Deputy Director General(Establishment and Finance), Department of Telecommunications – Member. 3. Deputy Director General (Postal Accounts and Finance) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

	the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level-8 (Rs.47,600-1,51,100) in pay matrix or equivalent in the parent Cadre/ Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and ((ii) passed Subordinate Accounts Service Examination conducted by any organised Accounts Service Department under the Government of India; and (iii) Three years' experience in handling the Accounts or Audit work in any office of the Indian Audit and Accounts Department. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same and some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) Assistant Accounts Officer	1208* (2018) *subject to variation dependent on work load	General Civil Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	level-8 (Rs.47,600 – 1,51,100)	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)

Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep).	Essential: Bachelor's Degree from a recognised University or Institute. **Desirable:** Charted Accountant or Cost and Management Accountant or Company Secretary or Master's in Commerce or Master's in Business Administration (Finance) or Master's in Business Economics from a recognised University or Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient numbers of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits and Promotees. Note: No probation for Group 'B' promotees. During the period of probation, direct recruits shall have to qualify Subordinate Accounts Service Examination or equivalent examination as devised by the Department, for confirmation and regular appointment as Assistant Accounts Officer.

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Departmental candidates who have passed the Subordinate Accounts Service Examination or equivalent examination conducted by Department of Posts and Telecommunications or Competent Authority specified by the Department. 1.Senior Accountant or Junior Accountant of Department of Posts and Department of Telecommunications with three years or Six years regular service in level 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400) and in level 5 in the pay matrix (Rs.29,200-92,300) respectively. 2. All other officials of the Department of Posts or Department of Telecommunications in Group 'C' cadre possessing a bachelor's degree from a recognised University or Institute with the following regular qualifying service: (i) in level-1 with fourteen years regular service, or

	(ii) in level-2 with thirteen years regular service, or (iii) in level-3 with eleven years regular service, or (iv) in level-4 with nine years regular service, or (v) in level-5 with seven years regular service, or (vi) in level-6 with four years regular service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under various organised Accounts and Audit Services under the Government of India: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii)who has passed the Subordinate Accounts Service or Subordinate Audit Service Examination or equivalent examination in any organised Accounts Cadre under the Government of India. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Deputy Director General(Postal Accounts and Finance) —Chairman. 2. Director (Staff Establishment Accounts), Department of Telecommunications —Member . 3. Director (Budget and Administration), Department of Posts —Member. **Group'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1.Deputy Director General(Postal Accounts and Finance) —Chairman. 2. Director (Staff Establishment Accounts), Department of Telecommunications —Member. 3. Director (Budget and Administration), Department of Posts —Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 301 (1)/2012/PA Admn III]

DEEPAK KUMAR, Director (Budget & Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.02 15:53:02 +05'30'